न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट सरमथुरा(धौलपुर)

क्रमांक:कोर्ट/2018/ 400 दिनांक:- 8 /3/2018

तहसीलदार
सरमथुरा

विषय:- प्रकरण संख्या 191/2017 उनवान शिवदेई बनाम राज.सरकार में निर्णय की पालना सुनिश्चित करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 191/2017 उनवान शिवदेई बनाम राज.सरकार में प्रार्थीया द्वारा ग्राम कोटा में स्थित अपनी खातेदारी की आराजी ख.नं. 293 रकबा 0.30 हैक्टेयर में जाने हेतु सिवायचक आराजी ख.नं. 286 रकबा 0.42है. में से रास्ता चाहा गया है। इसके संबंध में आप द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 26.9.17 के आधार पर 20फीट रास्ते की कीमत जमाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आपको निर्देशित किया गया था जिसकी पालना में प्रार्थीया ने दिनांक 27.2.2018 को प्रार्थना पत्र के साथ आप द्वारा निर्धारित राशि जमा राजकोष कराते हुए चालान की प्रति प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में चूंकि प्रार्थीया द्वारा वांछित रास्ते की कीमत जमा राजकोष की जा चुकी है।

अतः प्रकरण को निर्णत करते हुए प्रार्थीया द्वारा प्रकरण में अपनी आराजी ख.नं.293 रकबा 0.30हैक्टेयर पर जाने हेतु ख.नं.286 रकबा0.42 हैक्टेयर में से वांछित 20 फीट चौडा रास्ता दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सरमथुरा प्रार्थीया को नियमानुसार रास्ता उपलब्ध कराकर पालना रिपोर्ट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

उप जिला मजिस्ट्रेट
सरमथुरा